



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04032022-233934
CG-DL-E-04032022-233934

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 966]
No. 966]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 4, 2022/ फाल्गुन 13, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 4, 2022/PHALGUNA 13, 1943

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2022

का.आ. 996(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5कक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), में प्रकाशित भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 772 (अ.) तारीख 20 फरवरी, 2020 में इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. 10 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर 'धारा 5कक की उपधारा (2) के खण्ड (ड) के अधीन नियुक्त' शीर्षक में निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:-

“10. श्री हरभजन सिंह सिध्दू”।

[फा. सं. वी-20012/1/2006-एसएस-II]

विभा भल्ला, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना कार्यकारी समिति का गठन करते हुए भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में सं. का.आ. 772(अ.), तारीख 20 फरवरी, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th March, 2022

S.O. 996(E).—In exercise of the powers conferred by section 5AA of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following amendment to amend the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) *vide* number S.O. 772(E), dated the 20th February, 2020 with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette, namely:-

In the said notification, under the heading 'Appointed under clause (e) of sub-section (2) of section 5AA', for serial number 10 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"10. Shri Harbhajan Singh Sidhu".

[F. No. V-20012/1/2006-SS-II]

VIBHA BHALLA, Jt. Secy.

Note : The principal notification constituting the Executive Committee was published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (ii) *vide* number S.O. 772(E), dated the 20th February, 2020.